न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 32/2019

1–भंवरदान पुत्र पूसदान जाति चारण निवासी गिरधारीपुरा तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार लाडनूं, जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री मो0 अली शेरानी व महावीर प्रजापत अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार लाडनूं मु0सं0 08/2018 बअनुवान सरकार जरिये हल्का पटवारी, ध्यावा बनाम भंवरदान अन्तर्गत धारा 91 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 11.04.2019

निर्णय

दिनांक:08.02.21

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ध्यावा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा ग्राम गिरधारीपुरा के खसरा नम्बर 15 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0मु0 मुमकिन चारागाह भूमि पर पक्की दीवार बनाकर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन करने पर तथा पटवारी हल्का ध्यावा व भू0अ0नि0 सारड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लाडनूं द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 7.02.2018 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल0आर.एक्ट 1956 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

तहत तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल स्वयं अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित हुवें। अप्रार्थी ने दिनांक 30.05.18 को मय अधिवक्ता उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 151सी.पी.सी. वास्ते सीमाज्ञान पेश किया, जिसकी जॉच सीमाज्ञान भू0अ0निरीक्षक सारडी से करवाया गया। सीमाज्ञान के आदेश की पालना रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक सारड़ी ने पेश कर जाहिर किया कि मौके पर खसरा नम्बर 15 गै0मु0 गौचर पर अतिक्रमण पाया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.04.2019 को निर्णय कर अप्रार्थी को खसरा नम्बर 15 रकबा 0.02 बीघा किस्म गै0 मु0 चारागाह पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 0.30 रूपये के 50 गुणा से रूपये 2/– अक्षरे दौ रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 10.06.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार के प्रकरण संख्या 08/18 सरकार बनाम भंवरदान जाति चारण में निर्णय की सत्यापित फोटोप्रति अधिनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 7.02.2018 से 11.04.2019 की सत्यापित प्रति, पटवारी हल्का ध्यावा की मौका रिपोर्ट, व जमाबन्दी की सत्य प्रति पेश की है।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि निर्णय जैर अपील तहसीलदार लाडनूं कानूनन वाक्यितन एवं विधि के सामान्य सिद्धान्तो तथा विधि के प्रावधान के विरूद्ध होने से सही नहीं है एवम निरस्त किया जाने योग्य है।

{2}(2) – यह है कि अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 30.05.2018 को उक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कया गया था कि खसरा नम्बर 15 गै0 मु0 चारागाह का सीमांज्ञान करवाया जावें ताकि यह स्पष्ट हो जावें क खसरा नपम्बर 15 पर किसने अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

लाडनूं ने भू0अ0निरीक्षक को मौका जॉच का आदेश दिया तथा सीमाज्ञान नही करवाया, जिससे भी निर्णय अपील निरस्त किया जाने योग्य है।

{2}(3) – यह है कि भू0अ0निरीक्षक सारड़ी ने दिनांक 11.04.2019 को मौका रिपोर्ट पेश की, वह सही नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने मौका रिपोर्ट में लिखा हे कि खसरा नम्बर 15 की सीमा ज्ञान का नाप करना अंकित पाया पाया तथा अप्रार्थी का खसरा नं0 15 पर गैर मुमकिन गौचर में अतिक्रमण है। जबकि भू0अ0नि0 सारड़ी ने सीमाज्ञान नाप की कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। जिससे निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाने योग्य हैं।

{2}(4) – यह है कि खेत खसरा नम्बर 28 वाके सरहद गिरधारीपुरा का अप्रार्थी/अपीलार्थी खातेदार काश्तकार है व कब्जा काश्त अपीलार्थी का है, जिसके चिपते ही खसरा नम्बर 15 गै0 मु0 चारागाह की भूमि है खसरा नम्बर 15 के चारों भूजाओं का क्या क्या नाप है, मौके पर खसरा नम्बर 15 की कितनी भूमि है तथा कितनी भूमि कम है एवम किस दिशा की भूजा कम पड़ रहीं है, तथा अतिक्रमी की भूमि मौके पर कितनी कम या ज्यादा है, बिना सीमाज्ञान के नहीं कहा जा सकता है कि किसने अतिक्रमण किया है। अतः बिना नाप सीमाज्ञान के पटवारी उक्त भूमि पर कैसे अतिक्रमण बता सकता है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त करने योग्य है।

{2}(5) –यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी को जवाब का अवसर नहीं दिया गया । अप्रार्थी का जवाब लिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है।

{2}(6) –यह है कि हल्का पटवारी ध्यावा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने साक्ष्य में पेश नही हुये है, जिस कारण अप्रार्थी को अपना पक्ष साबित करने के लिये जिरह का अवसर नही मिला है तथा अप्रार्थी को अपना साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

{2}(7) – यह है कि अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि में वाड़ा मकान व होद ग्राम गिरधारीपुरा की आबादी भूमि में बना हुआ हैं,जिसके पक्की चार दीवारी बनी हुई हैं। जो उसके स्वयं की खातेदारी भूमि हैं । अप्रार्थी ने खसरा नं0 15 की सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हे। हल्का पटवारी ने गांव के चन्द लोगों की द्वैषतावतश की गई झुठी शिकायत पर गलत रिपार्ट पेश की है।

{2}(8) – यह है कि अप्रार्थी ने यह भी बताया कि अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधान की पालना नहीं कि है, तथा अप्रार्थी को अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया है, जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्त करने योग्य है।

{2}(9) – यह है कि अपीलार्थी को उक्त निर्णय दिनांक 11.04.2019 को अप्रार्थी की अनुपस्थिति में सुनाया गया हैं । तथा अप्रार्थी को निर्णय की जानकारी भू–अभिलेख निरीक्षक के बताने पर हुई तथा दिनांक 04.06.2019 को निर्णय की नकले लेने पर जानकारी हुई ।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का ध्यावा की रिपोर्ट व भू0अ0निरीक्षक सारड़ी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ग्राम गिरधारीपुरा खसरा नम्बर 15 कुल रकबा 5.17 बिघा गै0 मु0 चारागाह में से 0.02 बीधा किस्म गै0मु0 रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखली तथा वार्षिक लगान दर 0.30 रूपये का 50 गुणा 2/– अक्षरे दो रूपये जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के विरूद्ध जो नोटिस जारी किया वो विधिवतरूप तामिल हुवे है, तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.03.2018 पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही बिना जॉच के विधि विरूद्ध की गयी है। जबकी विचारण न्यायालय कि पत्रावली दिनांक 11.04.2019 की आदेशिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीमाज्ञान किया गया हैं तथा भू0अ0निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट से अप्रार्थी का अतिकण होना पाया गया है, तथा अधिनस्थ ने जवाब हेतु समय देने के उपरान्त भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिससे यह सावित होता है कि अप्रार्थी को जवाब हेतु समय दिया गया है, जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रार्थी ने जवाब के साथ भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे सावित होता हो कि उसका उक्त मुतनाजा भूमि पर कब्जा नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर देकर विधि अनुरूप निर्णय किया गया है। तथा पटवारी हल्का ध्यावा व भू–अभिलेख सारड़ी की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध रिर्कोड से सावित होता है कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण है।

प्रस्ततु प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0म0 चारागाह की भूमि जो राजकीय भूमि है, पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

:::: आ दे श ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.04.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांकः 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner